न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 188/22/दावा/बउनवान/हेमराज वगै0 बनाम नरेन्द्र कुमार वगै0

जीसीएमएस संख्या 2022/297

1. हेमराज उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल जाति मीणा
2. दीनदयाल उम्र 46 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल जाति मीणा
3. गिर्राज उम्र 54 वर्ष पुत्र श्री कालूलाल जाति मीणा
4. सोभागमल उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री कालूलाल जाति मीणा
5. कमल उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा
6. दिनेश उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा

निवासीगण पाली की झोपड़िया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार उम्र 40 वर्ष दत्तक पुत्र ओंकारलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बमोरी हाल निवास जोनल हॉस्पिटल के सामने,महावीर गार्डन के पास,बारां तहसील बारां जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये उप पंजीयक मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा

88,89,90,91,92,188 आर.टी.एक्ट

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीण : श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा

दायरा दिनांकः 22.11.2022 **निर्णय दिनांक : 22.04.2026**

::निर्णय::

वादीगण निम्न आधारों पर यह वाद पत्र पेश कर सविनय निवेदन करते है :–

वाके ग्राम धोकलखेड़ी पटवार हल्का बमोरी कलां तहसील मांगरोल में खसरा नं. 46 रकबा 1.03 है0, खसरा नं. 52 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.82 है0 भूमि स्थित है, जो वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी क्रम 01 के नाम पर बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। जिसे इस वाद में आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रम 01 के नाम इंतकाल नं0 105 दिनांक 22.06.2022 से ओंकारलाल के फौत होने के कारण उसका दत्तक पुत्र होने की वजह से प्रतिवादी क्रम 01 के नाम दर्ज हुई है, जो वारिस इंतकाल के रूप में दर्ज हुई है। उससे पहले यह भूमि ओंकारलाल वल्द धूलीलाल कौम धाकड़ निवासी बमोरी के नाम दर्ज थी तथा वक्त केचमेन्ट सम्वत् 2056 से 2059 की जमाबंदी में ओंकार पुत्र श्री धूलीलाल कौम धाकड़ साकिन बमोरी के नाम दर्ज थी। उस समय इस भूमि का खसरा नं0 24 रकबा 1.10 है0 व खसरा नं0 25 रकबा 0.84 है0 कुल किता 2 रकबा 1.94 है0 था तथा इंतकाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

नं0 18 से केचमेन्ट द्वारा खसरा नं0 24 रकबा 0.10 है0 व खसरा नं0 25 रकबा 0.84 है0 कुल 2 किता रकबा 1.94 है0 के स्थान पर नये खसरा नं0 46 रकबा 1.03 व खसरा नं0 52 रकबा 0.79 है0 कुल दो किता रकबा 1.82 है0 दर्ज करने के आदेश हुये थे, जिसका नोट जमाबंदी सम्वत् 2056 से 2059 के कॉलम नं0 17 में लगा हुआ है। इससे पूर्व सम्वत् 2048 से 2051 में यह भूमि ओंकारलाल वल्द धूलीलाल धाकड़ के नाम दर्ज थी।

ग्राम धोकलखेड़ी के सम्वत् 2044 से 2063 के मिलान क्षेत्रफल में खसरा नं0 24 रकबा 1.10 है0 व खसरा नं0 25 रकबा 0.84 है0 का साबिक खसरा नं0 12 रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा था। सम्वत् 2014 से 2023 के मिलान क्षेत्रफल में धोकलखेड़ी की उपरोक्त खसरा नं0 12 रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा का साबिक खसरा नं0 11 रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा था।

पक्षकारों का वंश वृक्ष इस प्रकार है :–

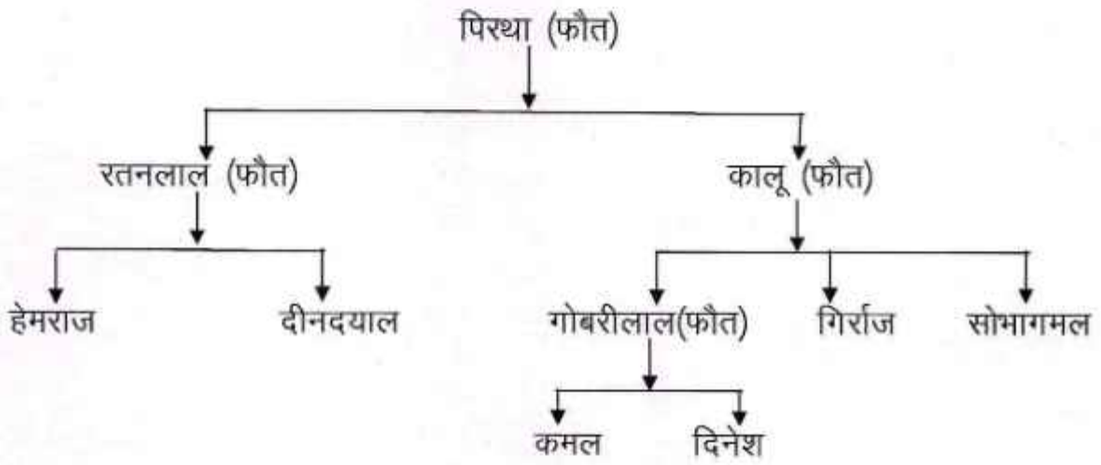

भू प्रबंध विभाग सेटलमेंट का सम्वत् 2014 से 2023 का जो पर्चा लगान जारी हुआ, उसमें वादग्रस्त भूमि नकटी वाला खसरा नं0 12 रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा व खसरा नं0 3 रकबा 23 बीघा 13 बीस्वा मासूम नानज्या वाला का पर्चा लगान रतनलाल कालू पिसरान पिरथा कौम मीणा निवासी पाली के नाम जारी हुआ था।

वादीगण व रतनलाल कालू पिसरान पिरथा जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में आते है तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण किसी भी प्रकार से नही हो सकती।

वादग्रस्त भूमि के बाबत् दिनांक 21.07.1964 को एक नामांतकरण ग्राम धोकलखेड़ी की खसरा नं0 12 रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा का इंतकाल नं0 4 को तस्दीक किया गया। जिसमें वादग्रस्त भूमि रतना व कालू पिसरान पिरथा कौम मीणा के नाम दर्ज थी, जो कॉलम 5 में दर्ज है। कॉलम नं0 11 में रतना कालू के बजाए यह भूमि ओंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ बमोरी के नाम दर्ज कर दी गई तथा इंतकाल में यह नोट लगाया गया कि आराजी खसरा नं0 12 रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा सम्वत् 2012 से कब्जा काश्त ओंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ का चला आ रहा है, अतः मुताबिक धारा 19 टीनेंसी एक्ट उपरोक्त आराजी खसरा नं0 12 की रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा औंकार के नाम दर्ज फरमायी जावें और इसका अंकन भी कर दिया गया। जबकि मीणा जाति के व्यक्ति

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

किसी भी स्थिति में धाकड़ जाति का व्यक्ति जो सवर्ण जाति में आता है के नाम दर्ज नही हो सकती थी।

सम्वत् 2012 की खसरा गिरदावरी में इस भूमि का फर्द मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नं0 11 रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा था तथा ऐसी कोई जमाबंदी या खसरा गिरदावरी में ओंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ का कब्जा नही है, केवल मात्र सम्वत् 2020 से 2023 की खसरा गिरदावरी खसरा नं0 12 रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा नकटी वाला में जैली ओंकार दर्ज है। किन्तु इसके बाद सम्वत् 2015 में जैली ओंकार दर्ज है। लेकिन सम्वत् 2026 से 2029 की गिरदावरी में वादग्रस्त भूमि कही भी ओंकार की काश्त नही है क्योंकि सम्वत् 2032 तक जो व्यक्ति काश्त करता था, उसका नाम गिरदावरी में दर्ज होता था तथा 2026 से 2029 की गिरदावरी में रतनलाल कालू का नाम दर्ज है। वास्तव में वादग्रस्त भूमि ओंकार वल्द धूलीलाल के पास गिरवी रखी गई थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने जैली के आधार पर सम्वत् 2012 से ओंकार कब्जा लिखकर यह भूमि ओंकार के नाम दर्ज कर दी, जो सरासर गलत है। क्योंकि धारा 19 (1AA) टेंनेंसी एक्ट 1955 के परन्तुक में मीणा जाति के व्यक्ति की भूमि पर किसी को भी जो अनुसूचित जनजाति का नही है, खातेदारी नही दी जा सकती तथा धारा 19 आर.टी.एक्ट के तहत भी एस.सी. एस.टी. की भूमि पर खातेदारी नही दी जा सकती तथा इसी प्रकार धारा 43 आर.टी.एक्ट की धारा 43 (4) आर.टी. एक्ट के तहत यदि सन् 1955 में से पहले भी यदि किसी व्यक्ति की भूमि किसी के पास बन्धक की गई है तो टीनेंसी एक्ट 1955 के लागू होने के 20 वर्ष बाद स्वतः ही बंधक बिना रकम दिये समाप्त हो जायेगा, यह प्रावधान टीनेंसी एक्ट में है तथा इस आधार पर प्रतिवादी क्रम 01 के पिता को जो खातेदारी दी गई वह शुन्य है।

साबिक खसरा नं0 3 जो नानज्या वाला है वह सम्वत् 2014 से 2023 की जमाबंदी में रतनलाल ,कालू पिसरान पिरथा जाति मीणा के नाम दर्ज है, इससे यह स्पष्ट है कि वादीगण रतना व कालू के वारिसान है। वादीगण वादग्रस्त भूमियों को अपने पिता के जमाने से ही निरंतर काश्त करते चले आ रहे है, आज दिन तक वादग्रस्त भूमियां कभी भी प्रतिवादी क्रम 01 अथवा उसके पिता ने काश्त नही की। रतनलाल दिनांक 29.04.2011 को तथा कालूलाल दिनांक 18.05.2021 को फौत हुआ है।

विवादग्रस्त भूमियां ओंकारलाल के फौत होने के बाद उसकी पत्नी भैरीबाई के नाम इंतकाल नं0 105 दिनांक 20.06.2022 से दर्ज हुई तथा भैरी बाई के दिनांक 14.10.2021 को फौत होने के कारण भैरी बाई के कोई वारिस नही होने के कारण गोदनामा के आधार पर ओंकारलाल ने प्रतिवादी क्रम 01 को गोद लेना बताया, इस कारण प्रतिवादी क्रम 01 के नाम दर्ज हुई है किन्तु भैरी बाई ने भी कभी भी इन भूमियों को काश्त नही किया।

रतना कालू पुत्र श्री पिरथा के फौत होने के कारण उनकी जो दीगर भूमियां थी, उनका नामांतकरण भी वादीगण के नाम तस्दीक हुआ है, इस कारण ही वादीगण उपरोक्त विवादग्रस्त भूमियों के मालिक व स्वामी है तथा आज दिन भी वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भान्डू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

ओंकार पुत्र श्री धूलीलाल के फौत होने पर इंतकाल नं0 57 दिनांक 05.06.2007 से ओंकार के स्थान पर भैरी बाई बेवा ओंकार का नाम दज हुआ था, जो जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 में दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 01 के नाम दर्ज होने के कारण वह उसका नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करके दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है, जबकि वादग्रस्त भूमि वादीगण की व उनके पिता की भूमियां है जो अनुसूचित जनजाति की भूमियां है जिन पर किसी भी सवर्ण व्यक्ति को खातेदारी नही मिल सकती। विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण ने फसल बो रखी है किन्तु प्रतिवादी क्रम 01 जबरन काश्त करने पर आमादा है। दिनांक 15.09.2022 को प्रतिवादी क्रम 01 विवादग्रस्त भूमि पर आ गया व धमकी दी कि मैं इस भूमि को जबरन काश्त करके दीगरर व्यक्ति को बेचान करूंगा, बमुश्किल वादीगण के समझाने से वह वापस गया, लेकिन ऐलानियां धमकी दी मैं इस भूमि की रजिस्ट्री किसी भी व्यक्ति के नाम करवा दूंगा। अतऐव वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी व नालिशी है कि वह वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा न करें व रहन बेचान न करें तथा वादीगण को शांतिपूर्ण ढंग से काश्त करने देवें।

वादीगण ने दिनांक 16.09.2022 को प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के विधिक प्रतिनिधियों को नोटिस कानून दिलवाया, जो उनकों प्राप्त हो गया किन्तु उन्होंने कोई सहायता नही पंहुचायी। चूकि प्रतिवादी क्रम 01 वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करके बेचान करने पर आमादा है तथा इस प्रकरण में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है। इस कारण मियाद नोटिस समाप्त होने तक इन्तजार करना संभव नही है। अतऐव धारा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश करके वाद पेश करने की अनुमति ले ली गई है। वाद कारण दिनांक 15.09.2022 को प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर जबरन कब्जा करने एवं बेचान की धमकी देने नीज दिनांक 16.09.2022 को नोटिस देने के फलस्वरूप बमुकाम ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल में पैदा हुआ। वाद का मूल्यांकन विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। विवादित आराजी वाके ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल में स्थित है, इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अन्त में वादीगण प्रार्थना की गई कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित फरमायी जावें:–

(क) ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल का इंतकाल नं0 4 दिनांक 21.07.1964 शुन्य घोषित करते हुये विवादग्रस्त भूमियां खसरा नं0 46 रकबा 1.03 व खसरा नं0 52 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 रकबा 1.82 है0 पर प्रतिवादी क्रम 01 का नाम विलोपित करवाया जाकर , वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वह वाद पत्र की मद नं. 01 में वर्णित विवादग्रस्त भूमियां वाके माल धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं भूमियों का बेचान न तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्टों अथवा हित प्रतिनिधियों से करावें तथा वादीगण को उक्त भूमि पर शान्तिपूर्ण ढंग से काश्त करने देवें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

(ग) खर्चा मुकदमा व अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया।

—: जवाब दावा :—

1. वाद पत्र की मद नंबर 1 में राजस्व रिकार्ड स्वीकार है लेकिन यह स्वीकार नही है कि आराजी विवादित है। क्योंकि वर्णित आराजियात पर प्रतिवादी क्रम 1 शान्तिपूर्वक तरीके से काबिज होकर काश्त कर रहा है।

2. वाद पत्र की मद नंबर 2 जिस तरह से लिखी गई है स्वीकार नही है। आराजी खसरा नंबर 46 रकबा 1.03 हेक्टेयर, खसरा नंबर 52 रकबा 0.79 हेक्टेयर किता 2 रकबा 1.82 हेक्टेयर ग्राम धोकलखेड़ी पूर्व में मृतक खातेदार औंकार पुत्र धूलीलाल धाकड़ के खाते दर्ज थी। उसकी मृत्युपरान्त उसकी बेवा भैरी बाई के फौती इन्तकाल से दर्ज हुइ तत्पश्चात भैरी बाई की मृत्युपरान्त जर्ये रजि0 गोदनामा प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज की गई। वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 रिकार्डेड खातेदार है शेष मद राजस्व रिकार्ड अनुसार स्वीकार है।
3. वाद पत्र की मद नंबर 3 स्वीकार है।
4. वाद पत्र की मद नंबर 4 स्वीकार है।
5. वाद पत्र की मद नंबर 5 जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है, शेष विशेष विवरण आपत्तियों में दर्ज है।

6. वाद पत्र की मद नंबर 6 स्वीकार नही है। विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

7. वाद पत्र की मद नंबर 7 अस्वीकार है। मीणा जाति अनुसूचित जनजाति में आती है, यह तथ्य स्वीकार नही हैं कि आराजी का हस्तान्तरण किसी भी सूरत में अनुसूचित जनजाति से सामान्य जाति में नही हो सकता। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

8. वाद पत्र की मद नंबर 8 में आराजी खसरा नंबर 12 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा इन्तकाल नंबर 4 औंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ के खाते दर्ज होना स्वीकार है। इन्तकाल नंबर 4 विधिवत रूप से बाद जांच राजस्व कर्मचारियों द्वारा तस्दीक किया गया है जो संपूर्ण रूप से सही है। सम्वत् 2012 से ही औंकार वल्द धूलीलाल का आराजी पर कब्जा काश्त होने की वजह से इन्तकाल नंबर 4 तस्दीक किया गया है जो विधिसम्मत है और धारा 19 राज0टी0एक्ट के तहत तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया विधिवत एवं त्रूटिहीन है।

9. वाद पत्र की मद नंबर 9 स्वीकार नही है। वादी ने कानून की सही व्याख्या न करके तोड़ मरोड़ कर मद नंबर 9 अंकित की है जो पूर्ण रूप से अस्वीकार है। औंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ आराजी पर सन् 1955 से पूर्व का कब्जा होने तथा वक्त अधिनियम 1955 प्रभावी होने पर कब्जा काश्त होने से औंकार के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जो हर तरह से विधिसम्मत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

10. वाद पत्र की मद नंबर 10 स्वीकार नही है शेष विवरण विशेष आपत्तियों मे दर्ज है।

11. वाद पत्र की मद नंबर 11 अस्वीकार है। स्वयं वादीगण का कथन हैं कि इन्तकाल नंबर 4 दिनांक 21/07/1964 को औंकार वल्द धूलीलाल के खाते दर्ज कर दिया गया और इन्तकाल नंबर 4 में ही वादी का कब्जा काश्त प्रतिवादी क्रम 3 तहसीलदार साहब बता रहे है जो सम्वत् 2012 से है। इस प्रकार आराजी पर सम्वत् 2012 से ही औंकार का कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भैरी बाई और उसके उपरान्त प्रतिवादी क्रम 1 काश्त करता चला आ रहा है और आज भी काबिज काश्त है।

12. वाद पत्र की मद नंबर 12 में यह स्वीकार नही है कि भैरी बाई ने अपने खाते की आराजी को कभी काश्त नही किया हो। इस कथन को छोड़कर शेष मद स्वीकार है।
13. वाद पत्र की मद नंबर 13 जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है।
14. वाद पत्र की मद नंबर 14 स्वीकार है।
15. वाद पत्र की मद नंबर 15 स्वीकार नही है।

वादीगण का प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वादी के वाद पत्र के अवलोकन से ही स्पष्ट हैं कि राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर ही औंकार , उसकी मृत्युपरान्त भैरीबाई व उसकी मृत्युपरान्त प्रतिवादी क्रम 1 लगातार वाद पत्र में वर्णित आराजी पर काबिज काश्त है और यह राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा/अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

16. वाद पत्र की मद नंबर 16 स्वीकार नही है शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
17. वाद पत्र की मद नंबर 17 कानूनी है।
18. वाद पत्र की मद नंबर 18 कानूनी है।
19. वाद पत्र की मद नंबर 19 कानूनी है एवं प्रार्थना वादी स्वीकार नही है।

:: विशेष आपत्तियां एवं काउन्टर क्लेम / प्रतिदावा ::

1. वादीगण ने स्वयं मद नंबर 8 वाद पत्र में कथन किया है कि इन्तकाल नंबर 4 दिनांक 21/07/1964 से मद नंबर 1 वाद पत्र में वर्णित आराजी औंकार पुत्र धूलीलाल धाकड़ के खाते दर्ज कर दी गई। धारा 19 की उपधारा 7 व उपधारा 15 के अनुसार खातेदारी दर्ज की गई है जो विधिसम्मत है। धारा 7 के अनुसार इन्तकाल नंबर 4 दर्ज करने से पूर्व पूर्ण रूप से जांच की गई है और बाद में जांच कानूनगो रिपोर्ट के पश्चात तहसीलदार साहब ने धारा 15 के तहत इन्तकाल नंबर 4 तस्दीक किया गया है जो उनके अधिकार क्षेत्र में है। इस प्रकार सम्वत् 2012 से ही मृतक औंकारलाल पुत्र धूलीलाल धाकड़ का आराजी पर कब्जा काश्त है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

2. वादीगण के द्वारा सन् 2022 में वाद पत्र पेश किया गया है जबकि औंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ को इन्तकाल नंबर 4 से सन् 1964 में खातेदारी दी गई थी। इस प्रकार लगभग 58 वर्ष के पश्चात वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश किया गया है जो बैरून मियाद है, 58 वर्षों तक वादीगण के द्वारा औंकार के पक्ष में दर्ज इन्तकाल नंबर 4 को चुनौती नही दी गई जो कि अन्तिम हो चुका है। इसलिए वादपत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।
3. वादीगण के वादपत्र के अवलोकन को प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से ही स्पष्ट है कि सन् 1964 से अपनी मृत्यु तक औंकार खातेदार था, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी बेवा भैरी बाई खातेदार बनी और भैरी बाई की मृत्यु के बाद रजिस्टर्ड गोदनामें से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज हुई। इस प्रकार सन् 1964 से ही खसरा नंबर 46 रकबा 1.03 है0, खसरा नंबर 52 की रकबा 0.79 है0 आराजी पर पूर्व से ही प्रतिवादी क्रम 1के परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है, 58 वर्षों तक रिकार्डेड खातेदारी आराजी पर कब्जा काश्त होने से किसी भी कीमत पर स्थायी निषेधाज्ञा/अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

4. प्रतिवादी क्रम 1 खातेदार को काबिज काश्त होने पर दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ने बैंक से केसीसी बना रखी है।

5. वादीगण आये दिन प्रतिवादी क्रम 1 को कब्जा काश्त को लेकर तंग व परेशान करते रहते है और धमकियां देते रहते है कि हम आराजी पर बलपूर्वक कब्जा कर लेगें। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी क्रम 1 के लिए यह आवश्यक हो गया कि वादीगण के विरूद्ध एक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें और उन्हें जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करावें कि वादीगण प्रतिवादी के कब्जे काश्त की आराजी में बलपूर्वक प्रवेश न करें, अतिक्रमण न करें, प्रतिवादी क्रम 1 को शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करते रहने दें।

6. इन्तकाल नंबर 4 दिनांक 21/07/1964 को आज तक वादीगण के द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है और जैरकार वाद पत्र में भी इन्तकाल नंबर 4 को निरस्त करने की वादीगण के द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें तथा प्रतिवादी क्रम 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करावें कि वादीगण प्रतिवादी के कब्जे काश्त की आराजी में बलपूर्वक प्रवेश न करें, अतिक्रमण न करें, प्रतिवादी क्रम 1 को शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करते रहने दें। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा के समर्थन में निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये।

(1) जमाबंदी संवत 2017 – 2020 ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल खातेदार रतन कालू पि. पिरथा मीणा सा. पाली

(2) जमाबंदी संवत 2035 – 2036 ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल खातेदार औंकार पुत्र धूलीलाल नागर

(3) सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2044– 2063 ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल खाता सं0 3 औंकार वल्द धूलीलाल धाकड़

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

(4) मिलान क्षेत्रफल ख.नं. 24 , 25 ग्राम धोकलखेड़ी

(5) हाल जमाबंदी संवत 2076 – 2079 खाता संख्या 19 ग्राम धोकलखेड़ी

वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब मय काउन्टर क्लेम का वादीगण द्वारा निम्न जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया गया।

–: जवाब उल जवाब :–

1. यह कि काउन्टर क्लेम मद नं. 1 अस्वीकार हैं और कथन है कि मद नं. 8 वाद पत्र में जो कथन किया गया हैं वह बिल्कुल सही व सत्य है। क्योंकि उक्त भूमियां वादग्रस्त रतना व कालू पिसरान पिरथा कौम मीना के नाम दर्ज थी जो कॉलम नं.5 में दर्ज है। कॉलम नं. 11 में रतना व कालू के बजाय यह भूमि औंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ बमोरीकलां के नाम दर्ज कर दी तथा इंतकाल में नोट लगाया कि आराजी खसरा नं. 12 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा सम्वत् 2012 से कब्जा काश्त औंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ का चला आ रहा है। अतः मुताबिक धारा 19 टीनेन्सी एक्ट उपर्युक्त आराजी खसरा नं. 12 की रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा औंकार के नाम दज फरमायी गई। इसका अंकन भी कर दिया जबकि मीणा जाति के व्यक्ति की भूमि किसी भी स्थिति में धाकड़ जाति का व्यक्ति जो सवर्ण जाति में आता है, के नाम दर्ज नही हो सकती है जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई गलत प्रस्तुत की गई जो निरस्तनीय थी।

2. काउंटर क्लेम की मद नं.2 अस्वीकार है। उपर्युक्त भूमियों पर वादीगण के पूर्वजों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा वादीगण के कब्जे को कभी भी प्रतिवादीगण ने चुनौती नही दी। न्यायालय चाहे तो कब्जे बाबत् रिपोर्ट पटवारी हल्का से या किसी अन्य एजेंसी से मंगवा सकता है और वादीगण को जैसे ही प्रतिवादीगण के कृत्य का पता लगा तो प्रतिवादीगण ने पहले तो पैसे की मांग की फिर कहां तुम्हारें नाम दर्ज करवा दूंगा और फिर गांव में 15.09.2022 को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त भूमि पर कब्जा कर रहन – बेचान करेगा। तब वादीगण को प्रतिवादीगण के बेईमानीपूर्वक कृत्य का पता लगने के बाद वादीगण ने दिनांक 16.09.22 को कानूनी नोटिस दिलवाया। उसके बाद प्रतिवादीगण जबरन उक्त भूमियों को बेचान करने पर आमादा हो गया तब वादीगण ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, पृथक से इन्तकाल नंबर 4 को चुनौती देने का कोई मतलब नही है। कानून के मुताबिक नियमित वाद में वादीगण ने प्रार्थना में इंतकाल नंबर 4 को शुन्य घोषित करने का वाद–पत्र में निवेदन किया है।

3. काउन्टर क्लेम की मद नं. 3 अस्वीकार है और कथन है कि प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नही है। गलत बयानबाजी कर वाद में व काउन्टर क्लेम में प्रतिवादीगण ने उल्लेखित किया है तथा किसी भी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की भूमि बिना विक्रय या बैचान के स्वर्ण के नाम दर्ज नही हो सकती तथा कब्जा वादीगण का होने से वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा गलत तरीके से दर्ज होने के कारण विधि के प्रावधानों के तहत मालिक व स्वामी नही हो जाता इस तथ्य पर न्यायालय को भली – भांति अवलोकन करना हैं कि क्या भूमि प्रतिवादीगण के नाम विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज हुई हैं। इसलिए वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

4. काउन्टर क्लेम की मद नं. 4 अस्वीकार है और कथन हैं कि बिना कब्जे के सत्यापन कर अगर बैंक को धोखाधड़ी देकर के.सी.सी. बनाई है तो प्रतिवादीगण के खिलाफ धोखाधड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

का मुकदमा दर्ज करवाने हेतु बैंक भी स्वतंत्र है क्योंकि बिना कब्जे के सत्यापन के किसी भी प्रकार की के.सी.सी. नही बनाई जा सकती तथा पूर्व जमाबंदी 15.11.22 व 22.08.22 को उक्त भूमियां रहन मुक्त थी अगर बेईमानीपूर्वक के.सी.सी. बनाई है तो वह निरस्तनीय है।

5. काउन्टर क्लेम की मद नं. 5 अस्वीकार है और कथन है कि उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होने से प्रतिवादीगण को उक्त भूमियों को रहन, बैचान व अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति या संस्था से मुन्तकिल करने से रोकने के लिये वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने में कोई दखलअंदाजी प्रतिवादीगण नही करने हेतु रोका जाना अति आवश्यक है।
6. काउन्टर क्लेम की मद नं. 6 अस्वीकार है और कथन है कि नियमित वाद में इंतकाल नंबर 4 को निरस्त करने की प्रार्थना की मद नं. क में वादीगण द्वारा चाहा गया है। इसलिए प्रतिवादीगण ने गलत बयानबाजी कर मद नं. 4 का वर्णन किया है।

—: विशेष कथन :—

उक्त भूमियां वाद पत्र की मद नं. 1 में विस्तार से वर्णित की गई है तथा वाद पत्र की मद नं. 2 मे समूचित वर्णन कर गलत तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दज की गई क्योंकि वादीगण के पिता व वादीगण रतनलाल, कालू पिसरान पिरथा जाति मीणा जो अनुसूचित जाति तथा एस.टी. जाति के व्यक्ति की भूमि किसी भी प्रकार से स्वर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तांतरण नही हो सकती क्योंकि धारा 19 (1).(AA) टीनेन्सी एक्ट 1955 के परन्तुक में मीणा जाति के व्यक्ति की भूमि पर किसी को भी जो एस.टी. का नही है, खातेदारी नही दी जा सकती तथा धारा 19 आर.टी.एक्ट के तहत एस.टी. की भूमि पर खातेदारी नही दी जा सकती। इसलिए धारा 43 आर.टी.एक्ट की धारा 43 (4) के तहत यदि 1955 से पहले भी किसी व्यक्ति की भूमि किसी के पास बंधक की गई है तो टीनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने के 20 वर्ष बाद स्वतः ही बंधक बिना रकम दिये समाप्त हो जाएगा, यह प्रावधान टीनेन्सी एक्ट में है। इस आधार पर प्रतिवादी नं. 1 के पिता को जो खातेदारी दी गई है वह शुन्य है। वादीगण का वाद पत्र भूमियों पर अपने पिता के जमाने से ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है आज दिन तक वादग्रस्त भूमियों पर कभी भी प्रतिवादी नं. 1 तथा उसके पिता ने काश्त नही की। प्रतिवादी ने गलत तथ्य पर काउन्टर क्लेम पेश किया है जो विशेष खर्चा सहित खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा जबाब उल जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी का काउंटर क्लेम विशेष खर्चा सहित खारिज फरमाए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम एवं जवाब उल जवाब के अवलोकन के पश्चात वाद पत्र में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं0 1 :— आया वाके ग्राम धोकलखेड़ी वादग्रस्त हाल खसरा नं0 46 व 52 साबिक खसरा नं0 12 नकटीवाला खातेदारी रतना कालू पुत्र पिरथा वादीगण पूर्वज अनुसूचित जनजाति भूमि पर अवैध विधिविरूद्ध राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी – 1 के पूर्वजों के खाते दर्ज की है जो निरस्तनीय है।

....जिम्मे वादी ....

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

तनकी नं0 2 :– आया इन्तकाल नं0 4 दिनांक 21.07.1964 वादीगण व पूर्वजों के निरंतर कब्जा काश्त बावजूद अनु.जनजाति भूमि सवर्ण जाति की खाते में दर्ज करने व नामांतरण 4 गैरकानूनी अवैध होने से शुन्य घोषित किये जाने योग्य है।

....जिम्मे वादी....

तनकी नं0 3 :– आया धारा 19 आरटीएक्ट के तहत राजस्व कर्मचारियों ने मिलीभगत से वादीगण पूर्वजों की भूमि विधि विरूद्ध प्रतिवादी पूर्वजों के नाम हस्तांतरण दर्ज कर है, खातेदारी प्रतिवादी –1 निरस्त कर नाम विलोपित किये जाने योग्य है।

....जिम्मे वादी ...

तनकी नं0 4 :– आया एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 प्रसारित करें कि प्रतिवादी वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में दखलान्दाजी नही करें।

...जिम्मे वादी....

तनकी नं0 5 :– आया प्रतिवादी स्वयं व पूर्वज औंकार ,भैरी बाई वादग्रस्त आराजी पर 58 वर्षों से काबिज काश्त है।

...जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1...

तनकी नं0 6 :– आया प्रतिवादी क्रम 1 के पूर्वजों को विधि अनुसार कब्जा काश्त धारा 19 आर.टी. एक्ट में मानकर सन् 1964 में इन्तकाल नं0 4 से ग्राम धोकलखेड़ी वादग्रस्त आराजी दर्ज खातेदारी की है।

...जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1...

तनकी नं0 7 :– आया प्रतिवादी स्वयं व उससे पूर्व भैरी बाई व औंकार का सम्वत् 2012 से निरन्तर कब्जा काश्त आराजी वादग्रस्त पर चल रहा है, वाद काबिज खारिज है।

...जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1...

तनकी नं0 8 :– आया वाद वादीगण बैरून मियाद है, 58 वर्षो से इन्तकाल नं0 4 को चुनौती नही दी जाने से वाद खारिज कर काउन्टर क्लेम अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध वादीगण जारी करें।

...जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1...

वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्यवादी में साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू –1 गिर्राज पुत्र कालूलाल जाति मीणा , साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू – 2 दीनदयाल पुत्र रतनलाल जाति मीणा, साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू – 3 देवीलाल पुत्र सीताराम जाति मीणा, साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू – 4 बाबूलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम पाली की झोपड़िया तहसील मांगरोल जिला बारां के लिखित में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में अपने पक्ष में निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये:–

प्रदर्श 1 – नकल नोटिस दिनांक 16.09.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भान्डू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

प्रदर्श 2 – रसीद डाकखाना दिनांक 16.09.2022

प्रदर्श 3 – नकल जमाबंदी ग्राम धाकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2076 – 2079

नकल जमाबंदी ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2048 – 2051

प्रदर्श 4 – नकल जमाबंदी ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2056 – 2059

प्रदर्श 5 – नकल भू प्रबंध (सेटलमेंट) विभाग ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2014 से 2023

प्रदर्श 6 – नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2044 से 2063

प्रदर्श 7 – नकल इन्तकाल नंबर 7 ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल

प्रदर्श 8 – नकल खतौनी बंदोबस्त ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2014 से 2023

प्रदर्श 9 – नकल जमाबंदी ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2021 – 2024

प्रदर्श 10 – नकल खसरा गिरदावरी ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2026 से 2029

प्रदर्श 11 – नकल खसरा गिरदावरी ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2020 से 2023

प्रदर्श 12 – नकल खसरा गिरदावरी ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2015 से 2017

प्रदर्श 13 – नकल खसरा गिरदावरी ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2015 से 2017

प्रदर्श 14 – नकल भू प्रबंध (सेटलमेंट) विभाग ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2044 से 2063

प्रदर्श 15 – नकल इन्तकाल नंबर 105 दिनांक 20.06.2022 ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल

प्रदर्श 16 – नकल इंतकाल नं0 104 दिनांक 5.12.2021 ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल

प्रदर्श 17 – नकल इंतकाल नं0 4 ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल

प्रदर्श 18 – नकल इंतकाल नं0 71 ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल

प्रदर्श 19 – नकल भू प्रबंध विभाग ग्राम धोकलखेड़ी तहसील बारां संवत 2044 से 2063

प्रदर्श 20 – नकल जमाबंदी ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2060 से 2063

प्रदर्श 21 – नकल जमाबंदी ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2068 से 2071

प्रदर्श 22 – नकल जमाबंदी ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल संवत 2052 से 2055

प्रदर्श 23 – नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 29.04.2021 रतनलाल

प्रदर्श 24 – नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.05.2021 कालूलाल

वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यवादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू – 1 गिर्राज, पीडब्ल्यू –2 दीनदयाल, पीडब्ल्यू –3 देवीलाल, पीडब्ल्यू –2 बाबूलाल से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बार – बार अवसर देने के उपरांत भी प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। तत्पश्चात वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र ,जवाब दावा एवं जवाब उल जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहाराया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

तनकीवार विवेचन से पूर्व **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(b)** तथा **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 (1AA)** का अवलोकन आवश्यक है।

Sec. 42. General Restrictions on sale, gift & bequest – the sale ,gift or bequest by a khatedar tenants of his intrest in the whole or part of his holding shall be void if

(b) such , sale gift or bequest is by a numbar of scheuled Caste in favour of a person who is a not a member of the Scheduled Caste, or by a member of a Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the Scheduled Tribe.

इस प्रावधान के अनुसार एक खातेदार को केवल तीन प्रकार – विक्रय, दान या वसीयत से ही अपने अभिधृति हित हस्तांतरण का अधिकार है। अर्थात अन्य किसी और तरीके यथा निर्मुक्ति (रिलीज) या त्यजन (रेलिंक्विश्मेंट) आदि की माध्यम से अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में कृषि भूमि का हस्तांतरण नही किया जा सकता है। उक्त प्रावधान सामाजिक आर्थिक कानून का उदाहरण है जो समाज के दुर्बल व वंचित वर्ग अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति के अभिधृति अधिकारों की रक्षा करता है। इस प्रावधान से यह सुनिश्चित किया गया है कि अनुसूचित जाति के अभिधारी द्वारा भूमि विक्रय आदि केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही किया जावें तथा अनुसूचित जनजाति का अभिधारी केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही भू अन्तरण करें। इस प्रतिबन्ध से उक्त वर्ग के व्यक्तियों को भूमि के स्वर्ण वर्ग के लोलुप व्यापारियों , निर्माणकर्ताओं व भू माफियों से बचाया गया है ताकि इन कमजोर वर्ग के काश्तकारों की आजीविका का साधन उनकी कृषि भूमि सुरक्षित रहे।

Sec. 19. Conferment of rights on certain tenants khudkasht and sub-tenants –

(1AA) Every person who on the 31st day of December,1969, was entered in the annual registers than current as the tenant of khudkasht or sub- tenant or was not so entered but was a tenant of khudkasht or sub- tenant of land other than grove land shall subject to the exceptions contained in the provisos to sub section(1), as form of the date of the commencement of the rajasthan tenancy (Amendment) Act, 1979, hereinafter in this chapter referred to as the said date become, subject to the other provisions contained in this Chapter, the khatedari tenant that part of the land held by himin which he has not acquired khatedari rights under sub -section (1) or sub section (1A), if before the said date,no proceedings for his ejectment under clause(a) or clause(b) of sub section (1) of s section 180 shall have been started with the time limit prescribed by section 182A of if on than date, no such proceedings previously stated might have been pending.

Provided that no khatedari rights shall accrue under this sub-section in the land which has been, or is liable to be declared surplus under any law relating to the imposition of ceiling on agricultural holdings.

Provided further that no khatedari rights shall accrue under this sub-section in the land belonging to the scheduled caste or scheduled tribe but it shall

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

not be the case if the sub-tenant is the member of scheduled cast or scheduled tribe.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 स्पष्ट करती है कि अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के खातेदार की भूमि का हस्तांतरण किसी ऐसे व्यक्ति को नही किया जा सकता जो उसी समुदाय से न हो। यदि कोई गैर एस.टी. व्यक्ति एस.टी. की भूमि पर कब्जा कर लेता हैं तो उसे कब्जे के आधार पर खातेदारी का दावा नही किया जा सकता, न ही उसे धारा 19(1)(AA) के तहत स्वतः खातेदार माना जा सकता है। चूकि धारा 42 का उल्लघंन एक void शुन्य लेनदेन है, इसलिए इसे चुनौती देने के लिये समय सीमा का नियम आड़े नही आता, इसे कितने भी समय बाद चुनौती दी जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42, एससी/एसटी खातेदार की भूमियों पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। इस तरह कर हस्तांतरण लोक निति के विरूद्ध है, अधिकार क्षेत्र के बिना है। अवैधानिक कानून के विपरित किसी भी समय जानकारी आने पर राजस्व अधिकारी बदलाव हेतु निर्देश कर सकते है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19(AA) के परन्तुक से यह स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों पर इस उपधारा के अधीन कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नही होगें, सिवाय उस दशा के जबकि उप अभिधारी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। केवल लम्बे समय तक कब्जे (Adverse Possession) के आधार पर अनुसूचित जनजाति (ST) की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते है। ST भूमि हस्तांतरण के कड़े नियमों (धारा 42) के कारण इस प्रकार के अवैध कब्जे से खातेदारी हक नही मिलता है। धारा 42 के तहत ST की भूमि किसी गैर ST व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जा सकती यदि कोई गैर ST व्यक्ति ST की जमीन पर कब्जा करता है, तो उसे काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार नही माना जाएगा, चाहे वह कितने भी समय से हो। ऐसी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाकर उसे वापस मूल ST खातेदार को दिलाने का प्रावधान है।

पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज एवं वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये फर्द दस्तावेज एवं साक्ष्य शपथ पत्रों का अवलोकन किया जाकर चिंतन व मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज एवं बहस उभय पक्षकारान तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42** तथा **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 (1AA)** का भी अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वाद में कायम तनकीयात का विवेचन निम्न प्रकार से किया जाता हैं :–

तनकी नं0 1 :– आया वाके ग्राम धोकलखेड़ी वादग्रस्त हाल खसरा नं0 46 व 52 साबिक खसरा नं0 12 नकटीवाला खातेदारी रतना कालू पुत्र पिरथा वादीगण पूर्वज अनुसूचित जनजाति भूमि पर अवैध विधिविरूद्ध राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी – 1 के पूर्वजों के खाते दर्ज की है जो निरस्तनीय है।

....जिम्मे वादी ....

तनकी नं0 2 :– आया इन्तकाल नं0 4 दिनांक 21.07.1964 वादीगण व पूर्वजों के निरंतर कब्जा काश्त बावजूद अनु.जनजाति भूमि सवर्ण जाति की खाते में दर्ज करने व नामांतरण 4 गैरकानूनी अवैध होने से शुन्य घोषित किये जाने योग्य है।

....जिम्मे वादी....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

तनकी नं0 3 :– आया धारा 19 आरटीएक्ट के तहत राजस्व कर्मचारियों ने मिलीभगत से वादीगण पूर्वजों की भूमि विधि विरूद्ध प्रतिवादी पूर्वजों के नाम हस्तांतरण दर्ज कर है, खातेदारी प्रतिवादी –1 निरस्त कर नाम विलोपित किये जाने योग्य है।

....जिम्मे वादी ...

तनकी नंबर 1 , 2 , 3 खातेदारी से संबंधित होने से एक साथ निर्णित की जाती है। उक्त तनकीयात को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।

वादीगण द्वारा इन तकनकीयात के समर्थन में सम्वत् 2012 की खसरा गिरदावरी , फर्द मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 11 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा था तथा ऐसी कोई जमाबंदी या खसरा गिरदावरी में औंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ का कब्जा नही है, केवल मात्र सम्वत् 2020 से 2023 की खसरा गिरदावरी खसरा नं0 12 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा नकटीवाला में जैली औंकार दर्ज है किन्तु इसके बाद संवत् 2015 में जैली औंकार दर्ज है। लेकिन संवत 2026 से 2029 की गिरदावरी में वादग्रस्त भूमि कही भी औंकार की काश्त नही है। क्योंकि संवत 2032 तक जो व्यक्ति काश्त करता था, उसका नाम गिरदावरी में दर्ज होता था तथा 2026 से 2029 की गिरदावरी में कालू का नाम दर्ज है, वास्तव में वादग्रस्त भूमि ओंकार वल्द धूलीलाल के पास गिरवी रखी गई थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने जैली के आधार पर संवत् 2012 से ओंकार कब्जा लिखकर यह भूमि ओंकार के नाम दर्ज कर दी, जो सरासर गलत है। क्योंकि धारा 19 (1AA) टेंनेंसी एक्ट 1955 के परन्तुक में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर किसी को भी जो अनुसूचित जनजाति का नही है, खातेदारी नही दी जा सकती। वादग्रस्त भूमि बाबत् दिनांक 21.07.1964 को एक नामांतकरण ग्राम धोकलखेड़ी की खसरा नं0 12 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा का इंतकाल नं0 4 को तस्दीक किया गया। जिसमें वाद ग्रस्त भूमि रतना व कालू पिसरान पिरथा कौम मीणा के नाम दर्ज थी, जो कॉलम 5 में दर्ज है। कॉलम नंबर 11 में रतना कालू के बजाए यह भूमि औंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ बमोरी के नाम दर्ज कर दी गई। धारा 43 आर.टी.एक्ट की धारा 43 (4) आर.टी. एक्ट के तहत यदि सन् 1955 में से पहले भी यदि किसी व्यक्ति की भूमि किसी के पास बन्धक की गई है तो टीनेंसी एक्ट 1955 के लागू होने के 20 वर्ष बाद स्वतः ही बंधक बिना रकम दिये समाप्त हो जायेगा, यह प्रावधान टीनेंसी एक्ट में है तथा इस आधार पर प्रतिवादी क्रम 01 के पिता को जो खातेदारी दी गई वह शुन्य है। इसलिए यह उक्त तनकीयात क्रम संख्या 1,2 एवं 3 वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 तय की जाती है।

तनकी नं0 4 :– आया एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 प्रसारित करें कि प्रतिवादी वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में दखलान्दाजी नही करें।

...जिम्मे वादी....

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 के नाम पर दर्ज होने के कारण वह उसका नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करके दीगर व्यक्तियों को बैचान करने पर आमादा है। जबकि वाद ग्रस्त भूमि वादीगण व उनके पिता की भूमियां है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण ने फसल बो रखी है किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 जबरन काश्त करने पर आमादा है। इसलिए वादीगण एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध करा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में दखलान्दाजी नही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

करें। इस विवेचन के आधार पर यह तनकी वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 तय की जाती है।

तनकी नं0 5 :– आया प्रतिवादी स्वयं व पूर्वज औंकार ,भैरी बाई वादग्रस्त आराजी पर 58 वर्षों से काबिज काश्त है।

...जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1...

तनकी नं0 6 :– आया प्रतिवादी क्रम 1 के पूर्वजों को विधि अनुसार कब्जा काश्त धारा 19 आर.टी. एक्ट में मानकर सन् 1964 में इन्तकाल नं0 4 से ग्राम धोकलखेड़ी वादग्रस्त आराजी दर्ज खातेदारी की है।

...जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1...

तनकी नं0 7 :– आया प्रतिवादी स्वयं व उससे पूर्व भैरी बाई व औंकार का सम्वत् 2012 से निरन्तर कब्जा काश्त आराजी वादग्रस्त पर चल रहा है, वाद काबिज खारिज है।

...जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1...

तनकी नंबर 5, तनकी नंबर 6 एवं तनकी नंबर 7 कब्जे संबंधी होने से एक साथ निर्णित की जाती है :–

उक्त तनकीयात को सिद्ध करने का भारी प्रतिवादी क्रम 1 पर था। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उक्त तनकीयात के समर्थन में कब्जे संबंधी कोई ठोस तथ्य, साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित नही हुआ है कि प्रतिवादी क्रम 1 विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। नकल जमाबंदी भूप्रबंध सेटलमेंट विभाग संवत 2014 से 2023 में उक्त विवादग्रस्त आराजी रतनलाल,कालू पि. पिरथा कौम मीणा दर्ज है तथा वादीगण ही भूमि पर कब्जा काश्त है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से भूमि रतना व कालू मीणा के नाम दर्ज न करके ओंकार पुत्र धूलीलाल निवासी बमोरी कलां के नाम दर्ज कर दी। रतनलाल दिनांक 29.04.2011 को तथा कालूलाल दिनांक 18.05.2021 को फौत हुआ। अगर प्रतिवादी क्रम 1 का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मान भी लिया जाए तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955 की धारा 19(1)(AA) के तहत केवल लम्बे समय तक कब्जे के आधार पर अनुसूचित जनजाति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते है। इसलिए उक्त तनकीयात वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 तय की जाती है।

तनकी नं0 8 :– आया वाद वादीगण बैरून मियाद है, 58 वर्षो से इन्तकाल नं0 4 को चुनौती नही दी जाने से वाद खारिज कर काउन्टर क्लेम अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध वादीगण जारी करें।

...जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1...

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में घोषणा के वाद के लिये कोई मियाद विहित नही की गई है। घोषणा का वाद प्रस्तुत करने की कोई समयावधि नही है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 तय की जाती है।

सम्पूर्ण अवलोकन तथा राजस्व मण्डल न्यायालय के अनुसार यदि रिकॉर्ड में गलती (Inherent Lack of Jurisdiction) है, तो देरी (Delay) के आधार पर अवैध नामांतरण को वैध नही ठहराया जा सकता। राजस्व मण्डल के विभिन्न निर्णयों में यह तय किया गया है कि भले ही कब्जा 1964 से या उससे पहले से हो, लेकिन यदि वह

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

भूमि एस.टी. की है, तो उस पर गैर एस.टी. व्यक्ति का अधिकार कभी भी कानूनी नही माना जाएगा। दिनांक 21.07.1964 का इंतकाल नं0 4 , जो मीना जाति (एस.टी.) की भूमि को धाकड़ जाति (गैर एस.टी.) के नाम करता हैं, जो कि धारा 19 (1AA) का सीधा उल्लघंन है एवं धारा 42(b) की मूल भावना का उल्लघंन हैं। वाके ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल जिला बारां का इंतकाल नं0 4 दिनांक 21.07.1964 विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 46 रकबा 1.03 व खसरा नं0 52 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 रकबा 1.82 है0 पर प्रतिवादी क्रम 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल जिला बारां का इंतकाल नं0 4 दिनांक 21.07.1964 विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 46 रकबा 1.03 व खसरा नं0 52 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 रकबा 1.82 है0 पर प्रतिवादी क्रम 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण क्रम 1 ता 6 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। उक्त आशय की डिक्री जारी हो।पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

सौरभ भाम्बु
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय बइजलास सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 188/22/दावा/बउनवान/हेमराज वगै0 बनाम नरेन्द्र कुमार वगै0

जीसीएमएस संख्या 2022/297

निर्णय दिनांक :– **22.04.2026**

बउनवान

1. हेमराज उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल जाति मीणा
2. दीनदयाल उम्र 46 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल जाति मीणा
3. गिर्राज उम्र 54 वर्ष पुत्र श्री कालूलाल जाति मीणा
4. सोभागमल उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री कालूलाल जाति मीणा
5. कमल उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा
6. दिनेश उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा

निवासीगण पाली की झोपड़िया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार उम्र 40 वर्ष दत्तक पुत्र ओंकारलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बमोरी हाल निवास जोनल हॉस्पिटल के सामने,महावीर गार्डन के पास,बारां तहसील बारां जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये उप पंजीयक मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा

88,89,90,91,92,188 आर.टी.एक्ट

वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.04.2026 को सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते घोषणा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वाके ग्राम धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल जिला बारां का इंतकाल नं0 4 दिनांक 21.07.1964 विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 46 रकबा 1.03 व खसरा नं0 52 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 रकबा 1.82 है0 पर प्रतिवादी क्रम 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण क्रम 1 ता 6 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	.....			स्टाम्पअर्जीदावा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....			स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....			स्टाम्प वजह सबूत	.....		
महनताना वकील	.....			महनताना वकील	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुकमनामा	.....			बबत इजराय हुकमनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	.....		
मीजान	.....			मीजान	.....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल